

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940

No. 116]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

**फा.सं.पीएनजीआरबी /एम (सी)/48:-** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

**1. लघु शीर्षक और प्रारंभण**

- (1) इन विनियमों को "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) संशोधन विनियम, 2018" कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016 में, -**

(क) विनियम 1 में, उप-विनियम (2) में वर्ष "2018" के लिए वर्ष "2020" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

बन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III /4/असा./489/17]

**पाद टिप्पणी :** मूल विनियम फा.सं.: पीएनजीआरबी /एम (सी)/48, दिनांक 29.04.2016 के तहत अधिसूचित किए गए थे।

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD****NOTIFICATION**

New Delhi, 23<sup>rd</sup> March, 2018

**F.No.PNGRB/M(C)/48:-** In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

**1. Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016, in regulation 1, in sub-regulation (2), for the year “2018” the year “2020” shall be substituted.**

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III /4/Extn./489/17]

**Foot Note:** Principal regulations were notified vide F.No. PNGRB/M(C)/48, dated 29<sup>th</sup> April, 2016.

RAKESH  
SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL  
Date: 2018.04.02 18:56:07 +05'30'